# HRA Saxette of India

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] No. 548] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2008/आश्विन, 16, 2008 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2008/ASVINA 16, 2008

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 726(अ).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात : —

''22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय''।

[फा. सं. 1/6/2008-आई.आर.]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुसूची सं. सा.का.नि. 347, दिनांक 28 सितम्बर, 2005 और सं. सा.का.नि. 235 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2008 के द्वारा संशोधित की गई थी।

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2008

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Sccond Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005, after serial number 21 and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be added, namely:—

"22. National Security Council Secretariat".

[F. No. 1/6/2008-IR]

Dr. S. K. SARKAR Jt., Secy.

Note: The Schedule to the Right to Information Act, 2005 was amended *vide* No. G.S.R. 347 dated 28th day of September, 2005 and No. G.S.R. 235 (E) dated 28th day of March, 2008.

3874 GI/2008